Seventeenth Loksabha

an>

Title : Regarding 10% reservation in Jammu and Kashmir

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति महोदय, आज देश के लिए बहुत अच्छा दिन है। पिछड़ों में से जो उपराष्ट्रपति बने हैं, आज उन्होंने राज्य सभा में नेतृत्व किया है। यह बहुत सौभाग्य की बात है। यह भी सौभाग्य की बात है कि पिछले दिनों एसटी वर्ग से राष्ट्रपति बनाई गई हैं। उसी क्रम में जम्मू कश्मीर में पिछड़ों से संबंधित जाट, गुर्जर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुम्हार जैसी तमाम पिछड़ी जातियां आती हैं और दलित 22 परसेंट के करीब हैं। जम्मू कश्मीर में आजादी से लेकर अभी तक उनका शोषण होता रहा है। पिछड़ों का भी होता रहा है और दलितों का भी होता रहा है। धारा 370 हटने के बाद खासकर वहां पर एसटी वर्ग के गुर्जर-मुसलमान या गुर्जर-बकरवाल आते हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत अच्छा सोचा और उनको 10 परसेंट रिजर्वेशन दिया, जिसे पहले की सरकारों ने कभी नहीं दिया। उन्होंने उनका शोषण किया, उनसे वोट लिया और उनसे रिश्तेदारियां कीं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। पिछले दिनों कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उनको गुमराह करने के लिए चाल चली है कि "तुम्हे जो 10 परसेंट आरक्षण मिला है, उसमें दूसरी जातियों को लेकर आ रहे हैं।" मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार उनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक सोचे और उनका जो 10 परसेंट आरक्षण है, वह कम न किया जाए। अगर कुछ जातियां ली जाएं तो समानुपातिक प्रोडेटा बेसिस पर उनको अलग से आरक्षण दिया जाए।